न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद संख्या–1270/2010

फॉर्म–ए	
उपस्थित राकेश कुमार–1 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना निर्णय की तिथिः– 07वीं जुलाई, 2026 सत्र वाद संख्या–1270/2010 सी0आई0एस0 संख्या–1503/2014 (गोपालपुर थाना कांड संख्या–19/2010) (धारा 304(बी), 34 भारतीय दण्ड संहिता)	
परिवादी/अभियोजन	बिहार सरकार द्वारा सूचक कृष्ण बहादुर।
अभियोजन की ओर से	श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री शर्मानन्द राय, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	सिपु सिंह, उम्र लगभग–42 वर्ष, पिता–श्याम बिहारी सिंह, निवासी फेजलाबाद, थाना–गोपालपुर, जिला–पटना
अभियुक्त की ओर से	श्री रणधीर कुमार, विद्वान अधिवक्ता
फॉर्म–बी	
अपराध की तिथि	15.03.2010
प्रथम सूचना रिर्पोट की तिथि	18.03.2010
आरोप पत्र की तिथि	21.06.2010
आरोप गठन की तिथि	14.12.2010
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	10.01.2011
निर्णय आरक्षित करने की तिथि	01.07.2026
निर्णय की तिथि	07.07.2026
दण्डादेश की तिथि	

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद संख्या–1270/2010

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त करने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	द0प्र0सं0 की धारा 428 के उद्देश्य से विचारण के दौरान निरूध किये जाने की अवधि
1.	सिपु कुमार	26.03.2010	07.05.2011	धारा 304(बी) एवं 201 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	01 वर्ष 01 महीना 11 दिन

फॉर्म–सी

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय की ओर से साक्षीगण की सूची।

1–अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सक गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है		

2–बचाव पक्ष के साक्षीगण, अगर है तो:–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सक गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

3–न्यायालय की ओर से साक्षीगण, अगर है तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सक गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
.....	.....	.....

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय की ओर से प्रदर्श की सूची।

क–अभियोजन की ओर से

क्रम संख्या	प्रदर्श की संख्या	विवरणी
अभियोजन पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है		

ख–बचाव पक्ष की ओर से

क्रम संख्या	प्रदर्श की संख्या	विवरणी

ग–न्यायालय की ओर से

क्रम संख्या	प्रदर्श की संख्या	विवरणी
.....	.....	.....

घ–भौतिक प्रदर्श–

क्रम संख्या	भौतिक प्रदर्श की संख्या	विवरणी
.....	.....	.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद संख्या–1270/2010

यह आपराधिक प्रकरण गोपालपुर थाना कांड संख्या 19/2010 में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना द्वारा दिनांक 28.04.2010 को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को किए गए दौरा सुपूर्दगी से उत्पन्न है।

निर्णय

1. इस मामले में ऊपर वर्णित अभियुक्त सिपु सिंह का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304(ए) एवं 201 के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए किया गया है।

2. प्राथमिकी अनुसार अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त में मामला यह है कि सूचक की पुत्री आरती देवी की विवाह सिपु सिंह से हुई थी। अभियुक्त के द्वारा दहेज में 1,00,000/– रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग शादी के बाद की गई थी जिसे पूरा नहीं कर सका और 15.03.2010 को आरोपी व्यक्तियों द्वारा सूचक की पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। आरती ने फोन पर बताया कि आरोपी व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बेरहमी से हमला किया जा रहा है। उसने अपनी हत्या का अनुमान लगाया। तब तक उसका फोन नीचे गिर गया। उसके बाद सूचक ने फोन लगाने की कोशिश किया पर बात नहीं हो सका। सूचक भेलवाड़ा पहुंचकर अपनी बेटी की तलाशी ली लेकिन वह नहीं मिली। सिपु ने उसे आरती की मौत के बारे बताया।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर गोपालपुर थाना कांड संख्या–19/2010 अंतर्गत धारा 304(बी), 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत ऊपर वर्णित अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कांड का अनुसंधान किया गया है। अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–54/2010 अंतर्गत धारा 304(बी), 201, 34 भारतीय दण्ड संहिता समर्पित किया गया है।

4. उपरोक्त समर्पित आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी पर सम्यक विचारोपरांत विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना द्वारा आरोप पत्र में नामित उपरोक्त विचारित अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में वर्णित धाराओं 304(बी), 201, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त का मामला विचारण हेतु विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को दौरा सुपूर्द किया गया एवं विभिन्न न्यायालयों से स्थानांतरण के उपरांत यह अभिलेख इस न्यायालय में विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–22, पटना के न्यायालय से 27.05.2025 को प्राप्त हुआ है।

5. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त विचारित अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 14.12.2010 को धारा 304(बी) एवं 201 भा0द0स0 के अंतर्गत आरोप गठन कर उसे हिन्दी में पढकर सुनाया एवं समझाया गया जिसका वह प्रत्याख्यान करते हुए वाद विचारण का दावा किया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराया है।

7. तदुपरांत अभियोजन साक्ष्य बंद कर उपरोक्त विचारित अभियुक्त का बयान द0प्र0स0 की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया जिसमें उसने अभियोजन के संपूर्ण अभिकथन को असत्य बताते हुए स्वंय को निर्दोष बताया है तथा अपने बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं?

मंतव्य

9. बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में विचारित अभियुक्त के विरूद्ध 14.12.2010 को आरोप का गठन किये जाने के उपरांत यह अभिलेख लगभग पन्द्रह वर्षों अभियोजन साक्ष्य हेतु चला है, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया है। उनका आगे कथन है कि अभियोजन पक्ष विचारित अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए समस्त आरोपों को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः निवेदन है कि विचारित अभियुक्त के विरूद्ध विरचित सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि इस मामले में अभियोजन किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

11. उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में विचारित अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 14.12.2010 को धारा 304(बी) एवं 201 भा0द0स0 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है। तत्पश्चात साक्षियों की उपस्थिति दिनांक 11.01.2011, 07.08.2025, 20.01.2026 को समन, दिनांक 22.03.2023, 08.08.2023, 28.04.2026 को अजमानतीय अधिपत्र, दिनांक 16.01.2024 को साक्षियों को उपस्थित कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को कारण पृच्छा निर्गत किया गया है। साक्षियों की उपस्थिति हेतु 29.08.2017 को अर्द्धशासकीय पत्र निर्गत किया गया है। अभियोजन को बार–बार समय देने के बावजूद अभियोजन के द्वारा आज तक कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभिलेख के अवालेकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले की सूचक की मृत्यु हो चुकी है। यह मामला वर्ष 2010 से अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार भर के न्यायालयों को इस तरह के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्देष प्राप्त है। अभियुक्त की ओर से दस्तावेजों की सूची के साथ सत्र वाद संख्या 983/2013 के आदेश फलक

दिनांक 10.06.2025 दाखिल किया गया है, जो इसी वाद से संबंधित है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक कृष्ण बहादुर की मृत्यु हो गई है और शेष साक्षी का कोई पता नहीं है और इस परिस्थिति में उपरोक्त सत्र वाद का निष्पादन किया गया है। आपराधिक न्यायशास्त्र का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और उसे अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करना होता है। निर्दोषिता की धारण और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत अभियुक्तों को उपलब्ध दोहरे सुरक्षा उपाय है। अभियोजन पक्ष को घटनाओं के क्रम के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना मामला सिद्ध करना होता है और ये साक्ष्य अकाट्य रूप से इस निष्कर्ष की ओर इंगित करने चाहिए कि अभियुक्त दोषी है। अपराध की गंभीरता के लिए और भी कठोर साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के अंतर्गत यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लेने, आरोपी की जांच करने और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को इस बिन्दु पर सुनने के बाद न्यायाधीश यह मानता है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आदेश पारित करेगा।

13. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह न्यायालय पाती है कि अभिलेख पर इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि विचारित अभियुक्त ने अपराध किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

आदेश

14. अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त सिपु सिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304(बी) एवं 201 के

अंतर्गत लगाए गए आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। दोषमुक्त अभियुक्त चूंकि जमानत पर है, इसलिए उसे एवं उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। कार्यालय इस निर्णय की प्रति जिला पदाधिकारी, पटना को प्रेषित करें तथा नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
पटना
07.07.2026

(राकेश कुमार–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
पटना
07.07.2026

निर्णय/आदेश की तिथि	07.07.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	01.07.2026
अपलोडिंग तिथि	08.07.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक